

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं० :- 375 /NG/2020/C&W/SPJ.

कार्यालय,
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर

निम्नलिखित अभ्यर्थी जो अनुकम्पा के आधार पर यांत्रिक (समाडि) विभाग के टेक्नीशियन ग्रेड-III (फीटर), वेतन बैंड 5200-20200 वेतन 1900 (लेवल-2) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदित है एवं निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में योग्य पाये जाने के उपरान्त सं०.रे०.प्र० (कार्मिक)/समस्तीपुर के कार्यालय आदेश सं०:-11/2017.पृ० सं०-का/239/तृ० श्रे०/अनु/गो/16/पार्ट-11. दिनांक :-26/27.07.2017 के द्वारा प्रशिक्षण में भेजे गये थे, के आलोक में समयाई/पावर/समस्तीपुर के पत्रांक :-या/डीएमई/स्टाफ/1/समाडि. दिनांक :-03.08.2020 एवं प्रभारी कैरेज एण्ड वैन ट्रेनिंग सेंटर/ई० सी० रेलवे/सोनपुर का पत्रांक:-यों/540/4/समाडि/ प्रशिक्षण/सोन०,दिनांक :-31.07.2020 के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में उत्तीर्ण घोषित है, की नियुक्ति अस्थाई रूप से टेक्नीशियन ग्रेड-III (फीटर),पे.बैंड-5200-20200 ग्रेड वेतन 1900 (लेवल-2) के पद पर करते हुए उनके नाम के सामने अंकित समाडि डिपो में पदस्थापित किया जाता है :-


क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम पिता का नाम एवं समुदाय सर्वश्री	पदनाम वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	पदस्थापित स्टेशन	जन्म तिथि	चिकित्सा प्रमाण-पत्र सं०,दिनांक एवं श्रेणी	नियुक्ति प्रशिक्षण अवधि के गणना उपरान्त वेतन निर्धारण	अगली वेतन वृद्धि तिथि
01	श्री साकेत रंजन पुत्र-स्व० अनिल कुमार प्रसाद सिंह (सामान्य)	टेक्नीशियन-III (फीटर) 5200-20200 + 1900 -(लेवल-2)	कैरेज कंट्रोल समस्तीपुर	16.08.1985 (सोलह अगस्त उन्नीस सौ पचासी)	Sr DMO/SPJ का प्रमाण पत्र सं०:-031056/111 दिनांक :-31.03.2016 द्वारा "Fit in Aye one (A-1) & below category without glasses.	21700/- एवं स्वीकार अन्य भत्ते	01.07.2021

उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक एवं अस्थायी है। इनकी नियुक्ति के संबंध में वे सभी शर्त लागू होगी जो एक अस्थाई तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के साथ प्रथम नियुक्ति के समय लागू होती है, इन्हें आवश्यकतानुसार प्रादेशिक सेना में तीन वर्षों तक एवं प्रादेशिक सेवा के इंजीनियरींग ईकाई में 12 वर्षों तक जो अवधि निर्धारित की जायेगी, सैन्य सेवा करनी होगी।


चरित्र सत्यापन के दौरान पुलिस द्वारा विपरीत प्रतिवेदन आने पर एवं शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में त्रुटि पाये जाने पर या माता /पत्नी/बच्चों जैसा भी मामला हो के साथ तथा परिवार के अन्य सदस्यों के देख रेख नहीं किये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना से ये शासित होंगे। श्री साकेत रंजन दिनांक :- 03.08.2020 को प्रशिक्षण के उपरान्त इस कार्यालय में रिपोर्ट किये है,अतएव दिनांक:-03.08.2020 से आज तक की अवधि को प्रशिक्षण अवधि का विस्तार माना जाएगा, जिसके लिए वृत्तिका देय होगी। इनकी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि इनकी नियुक्ति तिथि मानी जायेगी तथा वेतन ईत्यादि का लाभ देय होगा।

उपरोक्त आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित है।



Saket Ranjan 05/08/2020



सक्षम अधिकारी
समस्तीपुर

(आर.आर.लकडा)
मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
पूर्व मध्य रेल/ समस्तीपुर

दिनांक :- 05.08.2020

सं०:-का०/227/मा.म. (I) यांत्रिक (कै०.वै०)/टेक०-III/2018

प्रतिलिपि सूचमार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01 वमयॉई (समाडि)/सम० 02 वमविप्र/सम०

03 प्रभारी (कै०.वै०)/प्रशिक्षण केन्द्र /सोनपुर

04 समयाई/समस्तीपुर एवं सि०.से०.ई०/कंट्रोल/समस्तीपुर

05 सि०.से०.ई० (समाडि डिपो)/समस्तीपुर एवं कै० वै० कंट्रोल/समस्तीपुर

06 मुख्याधी यांत्रिक बिल /सम० कार्यालय में एवं एमपीपी सेल/सम०

07 मंडल मंत्री-ई०.सी०.आर०.कै० यू०/अ० जा०. अ० जा० एवं ओ०वी०सी० एसोपियेसन/सम०

08 संबधित कर्मचारी 09 अभिलेख हेतु।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
पूर्व मध्य रेल/ समस्तीपुर